

Form No. III**फर्दअहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ मुकाम चित्तौड़गढ़नाकोडा खाद भण्डार

बनाम

सरकारकार्यवाही अन्तर्गत :- **धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973**किस्म मुकदमा विविध प्रार्थना पत्र (457 CrPC)

नं०

195

सन्

2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.03.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। पैरोकार सरकार हाजिर। प्रकरण के मूल प्रकरण संख्या 005/2022 (रसद) अन्तर्गत धारा 6 अ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में निर्णय दिनांक 28.03.2023 से प्रकरण संयुक्त निदेशक (कृषि) विस्तार चित्तौड़गढ़ को वास्ते जांच प्रतिप्रेषित किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण अन्तर्गत धारा 457 जा0फौ0 में इस न्यायालय से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, अतः हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही मूल प्रकरण संख्या 005/2022(रसद) निर्णय दिनांक 28.03.2023 के साथ हम किता रहे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">-S/D- (अरविन्द कुमार पोसवाल) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ 28.03.2023</p> 	